इस्लीपुर बनाम भागली देवी

| तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज<br>इ० न० – 276/2017 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| ...17 | इकजाई तारीख पेशी देने पर आज पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26-12-17 को पेश हो।<br>Vimla | |
| ...17 | पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरिक... [illegible] उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली [illegible] कार्यवाही हेतु दिनांक 23.2-18 को पेश हो। | |
| ...18 | पत्रावली [illegible] वकलाय फरिकेन उपस्थित/ [illegible] /अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग [illegible] पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23-3-18 को पेश हो।<br>Vimla | |
| ...18 | [illegible] वकलाय फरिकेन उपस्थित/ [illegible] /अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 8-6-18 को पेश हो।<br>Vimla | |
| ...18 | राजस्व लोक अदालत अभियान<br>न्याय आपके द्वार [illegible]–2018<br>श्रीमान संयुक्त शासन सचिव [illegible] जयपुर के पत्रांक प.12 (15) [illegible] की पालना एवं श्रीमान जिला [illegible] निर्देशों की पालना में [illegible] 8-6-18 से तलब होकर आज पेश हुई [illegible] में पत्रावली लोक अदालत में सुनवाई [illegible] लोक अदालत / कैम्प कोर्ट स्थल अटल सेवा केन्द्र -------थोई------- में दिनांक 12-5-18 को पत्रावली पेश हो। उक्त [illegible] दिनांक एवं स्थल पर उपस्थित होने हेतु सम्बन्धित पक्षकारान को नोटिस जारी हो।<br>Gm- | |
| 12.05.2018 | पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान– 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प–थोई के अटल सेवा केन्द्र में पेश हुई। प्रकरण में उभय पक्ष उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से सहायक अभियन्ता, अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड थोई उपस्थित। सहायक अभियन्ता थोई ने अवगत कराया कि भूमि खसरा नम्बर 1370, 1372, 1373 तन् ग्राम लीलां की ढ़ाणी (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर में वादी के मकानों<br>Gm- | भूमि खसरा न० 1370, 1372, 1373 तन् ग्राम लीलां की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर में वादी के मकानों के ऊपर से व पेड़ों के ऊपर से कोई विद्युत लाइन नहीं गुजर रही है। [illegible]<br>Assistant Engineer (O&M)<br>A.V.V.N.L. THOI |

Scanned by CamScanner

मुरलीधर बनाम् भागली देवी वगै0
दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं0 24/2012
बी0टी0 नम्बर 298/2017

के उपर पेड़ पौधें के उपर से हमारे द्वारा कोई विधुत लाईन नहीं खेची जा रही है एंव ना ही भविष्य में खेंचेगें बाबत टिप्पणी अंकित की गई।

वादी के वादपत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 1370, 1372, 1373 तन् ग्राम लीलां की ढ़ाणी (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर के 3/8 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी ने उक्त भूमि में वर्तमान में रबी फसल सरसों, गैहूँ, चना काश्त कर रखा है तथा फलदार एंव छायादार वृक्ष लगा रखे है तथा रिहायशी पुख्ता मकानात् बना रखे है। उक्त भूमियों से किसी व्यक्ति का कोई ताल्लुक किसी किस्म का नहीं है। वादी के पड़ौसी वादी से अनावश्यक रूप से रंजिश रखते है तथा वादी को हैरान परेशान करने की गर्ज से वादी के हिस्से की भूमि तथा उस पर खड़ी फसल व रिहायशी मकान व खामघर, छप्पर व पेड़ पौधो के उपर से नई विधुत लाईन खेंचकर ले जाने पर आमादा हो रहे है। उक्त लाईन उपर से जाने पर वादी को हमेशा जनधन, पशु हानि, फसल पेड़ पौधों को नुकसान का अन्देशा बना रहेगा। प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 ने विधुत लाईन वादी की कृषि भूमि एंव उसमें निर्मित पुख्ता मकानों व खामघर, छप्पर के उपर से खेंचने बाबत वादी को धमकी देने पर वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब दावा पूर्व में पेश हो चूका है एंव लोक अदालत में भी प्रतिवादी न. 2 व 3 ने वादी के मकानों के उपर से विधुत लाईन नहीं खिचनें बाबत अवगत कराया है।

अतः ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र उभय पक्ष की सहमति के आधार पर वादी का वादपत्र लोक अदालत की भावना से डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादी न. 2 व 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे भूमि

Gm-

Scanned by CamScanner

| हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए |
|---|---|
| मुरलीधर बनाम् भागली देवी वगै0<br>दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा<br>मुकदमा नं0 24/2012<br>टी0टी0 नम्बर 296/2017<br><br>खसरा नम्बर 1370, 1372, 1373 तन् ग्राम लीलां की ढ़ाणी (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर में वादी की उगी फसल एंव मकानों व खामघर, छप्पर व पेड़ पौधो के उपर से कोई विधुत लाईन नहीं खींचे, ना ही विधुत पोल खड़ा करें, ना ही ट्रान्सफार्मर रखें। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।<br>यह निर्णय आज दिनांक 12.05.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प थोई के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।<br><br>(ब्रह्म लाल जाट)<br>आर.ए.एस.<br>सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)<br>श्रीमाधोपुर (सीकर)<br>कैम्पः–थोई | |

Scanned by CamScanner